

कमांक / मंडी / प्रांगण / 45 / 48 / 2360
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7-6-13

सद्विध
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला

(म0प्र0)

- विषय :- मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विक्रय के लिए आने वाले कृषकों की सुविधा के लिए संचालित भोजनालयों के व्यय के संबंध में।
- संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र कमांक/मंडी प्रांगण/विविध/कैंटीन/45/48/3956-3957 दिनांक 30.12.2008 एवं कमांक/बोर्ड/प्रा./कृ.भो.व्य./296-297 दि० 16.05.2009 एवं कमांक 2388 दिनांक 31.03.2011

शासन की योजना अनुसार प्रदेश की समस्त मंडियों में कृषि कार्य हेतु आने वाले कृषकों को रूपये 5/- प्रति थाली की दर से मुख्यालय के परिपत्र कमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/कैंटीन/45/48/3956 दिनांक 30.12.2008 अनुसार भोजन कराया जा रहा है।

“ग” एवं “घ” वर्ग की मंडी समितियों को किसानों को किए जाने वाले भोजन पर हुए व्यय का भुगतान मंडी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में किया जाता है। मंडी समितियों द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त देयक उप संचालक, आंचलिक कार्यालय की अनुमति के साथ मुख्यालय भेजे जाते हैं। मुख्यालय में प्राप्त देयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है जिस कारण से ठेकेदारों के देयक एक वर्ष की अवधि से अधिक समय तक लंबित रहते हैं इससे ठेकेदारों को काफी कठिनाई होती है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि प्रथमतः “ग” एवं “घ” वर्ग की मंडी समितियों के देयकों का 70 प्रतिशत भुगतान उनके पास उपलब्ध मंडी निधि से कर दें, एवं जब मंडी बोर्ड से अनुदान प्राप्त हो जाए तब उसका समायोजन कर लिया जाए। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।

k. k. m


अपर संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

सं. (कॉमिड)

JD(S)-720
12/6/13

01. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्य अभियंता/उप संचालक (समस्त), म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
04. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/वित्त शाखा/आडिट/एम.आई.एस./कम्प्यूटर शाखा/.....शाखा, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।


अपर संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल